फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री पर्वतसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह राठौड़ निवासी माण्डावाडा पोस्ट पड़ासली तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

— **अपीलांट**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 15/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.04.2022 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/299–300 दिनांक 03.03.2022 से अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना का संबंध इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी सम्पर्क पोटल अनुभाग की होने से जरिये पत्रांकः 67 दिनांक 17.01.2022 से सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। प्रभारी अधिकारी सर्म्पक पोर्टल द्वारा जरिये पत्रांकः 09 दिनांक 01.02.2022 से अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना लोक सूचना अधिकारी अनुभाग को उपलब्ध करवाई गई। उक्त सूचना के 03 पृष्ठ होने से अपीलांट को नियमानुसार शुल्क राशि 06 रूपये कार्यालय में जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु पत्रांकः 156 दिनांक 02.02.2022 से लिखा गया। अपीलांट द्वारा शुल्क राशि ज़मा नहीं कराने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलांट द्वारा शुल्क जमा नहीं कराने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई । लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन करते हुए अपीलार्थी को सुना गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद के द्वारा अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना, सूचना के 03 पृष्ठ होने से अपीलांट को नियमानुसार शुल्क राशि 06 रूपये कार्यालय में जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु पत्रांकः 156 दिनांक 02.02.2022 से लिखा गया। अपीलांट द्वारा शुल्क राशि जमा नहीं कराने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलार्थी द्वारा वक्त सुनवाई बताया कि ऑन लाईन सूचना प्राप्त की गई है। मुझे प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अपीलार्थी को वक्त सुनवाई निर्देशित किया गया कि प्रमाणित सूचना निःशुल्क लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त करे। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद वांछित सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावे।	

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलांट एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)